कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ–309/1/सा.प्र.वि./विविध/2025/1495 भिलाई, दिनांक 10/11/25

//आदेश//

पूर्व जारी कर्मचारी आवासगृह आवंटन आदेश क्रमांक/एफ–309/1/सा.प्र.वि./विविध/2018/648 भिलाई दिनांक 17.03.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विनय शर्मा, स्वच्छता निरीक्षक को पूर्व आवंटित कर्मचारी आवासगृह क्रमांक एच.ए.–2 नेहरू नगर के स्थान पर कर्मचारी आवासगृह क्रमांक जी.एस.–2 (77एम.एल.डी.) को निम्नांकित शर्तो पर आवंटित किया जाता है :–

1. – आवासगृह में स्वयं के नाम से विद्युत मीटर लगाकर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा तथा विद्युत शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
2. – नियमानुसार आवासगृह का किराया वेतन से वसूल किया जावेगा।
3. – नियमानुसार आवासगृह का जलकर वेतन से वसूल किया जावेगा।
4. – आवंटित आवासगृह में 15 दिनों के भीतर भौतिक अधिपत्य लेकर लिखित सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवासगृह का आवंटन स्वमेव निरस्त हो जावेगा और आवासगृह आवंटन के लिये प्राप्त शेष आवेदनों पर विचार कर आवासगृह आवंटित कर दिया जावेगा।
5. – यह आवंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है। आवास का वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को उपयोग हेतु किराये पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आवंटन निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही की जायेगी तथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर मूलभूत नियम 45 बी अनुसार आवास का बाजार दर की दुगुनी दर से दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
6. – आवास को आवासीय उपयोग में नही लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर आवंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जावेगा।
7. – आवासगृह तथा उसमें लगे विद्युत उपकरण एवं अन्य समान को आवासगृह रिक्त करते समय यथास्थिति वापस सौंपना होगा। तोड़–फोड़ तथा क्षति पहुंचाने की स्थिति में उस पर होने वाले व्यय की राशि आवंटिती से वसूल किया जावेगा।
8. – आवंटिती के स्थानातंरण, सेवामुक्त, पदच्युत होने प्रतिनियुक्ति पर जाने तथा 120 दिन से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में 07 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा तथा आवंटिती आवास धारण अनुमति लिये बिना आवासगृह को अधिपत्य में नही रख सकेंगे तथा अनाधिकृत रूप से अधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर से किराया वसूल किया जावेगा।
9. – आवंटिती द्वारा आवासगृह से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आवंटन आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवंटिती के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अधिपत्य की अवधि का मकान किराया मूलभूत नियम 45 बी के तहत वसूल किया जावेगा।
10. – इस आदेश के द्वारा आवंटिती द्वारा आवासगृह का अधिपत्य लेने पर पूर्व में आवंटिती को नगर पालिक निगम, भिलाई के अन्य आवासगृह या निगम द्वारा आवेदन अग्रेषित करने या अनुशंसा करने पर अन्य संस्था का आवासगृह आवंटित हो तो तीन दिन के अवधि में रिक्त कर अधिपत्य सौंपना अनिवार्य होगा। अन्यथा दोनों आवासगृहों पर अधिपत्य होने के कारण आवंटन आदेश निरस्त करते हुए आवंटिती के विरूद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी तथा दोनों आवासगृहों में से उच्च श्रेणी के आवासगृह का किराया उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव जो भी अधिक हो के अनुसार वसूल किया जावेगा।

क्रमश......

Scanned with CamScanner

11\. – आवंटिती का स्वयं अथवा परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता के नाम नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंदर निजी मकान, शासन (नजूल विभाग) द्वारा प्राप्त आवासीय पटटा, आवासीय योजना के तहत आवंटित आवास होगा या क्रय किया जाता है तो आवंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर उसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आवंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।

12\. – आवंटिती के परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता को कोई शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं या नगर पालिक निगम, भिलाई में आवासगृह आवंटित है अथवा भविष्य में आवंटित हो जाये तो आवंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर इसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आवंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।

13\. – यदि आवासगृह का सामान्य/दाण्डिक किराया तथा विद्युत शुल्क/जलकर आदि बकाया रहेगा और उसे स्वयं जमा नही किया जाता है तो वेतन अथवा देय स्वत्वों अथवा राजस्व के बकाया के रूप से राशि वसूलनीय होगा।

14\. – प्रशासनिक कारणों से यह आवंटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त किया जावेगा तथा आबंटन आदेश निरस्त किये जाने पर सात दिवस के अन्दर आवासगृह रिक्त करना होगा।

15\. – आवासगृह आवंटन/धारण करने एवं किराया के संबंध में समय–समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ–309/1/सा.प्र.वि./विविध/2025/ 1496 भिलाई,दिनांक 10/11/25

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 01 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
11. **श्री विनय शर्मा, स्वच्छता निरीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।**
12. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
13. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner